29 1/21

अभि० प्रार्थी व पेशकार सरकार उपस्थित। जवाब पेश किया। श्रा० रहे। अभि० प्रार्थी व पेशकार सरकार को सुना गया।

प्रार्थी का कथन है कि आराजी ख. नं. 1285/2 रकबा 0.10 हे०, 546/1 रकबा 0.31 हे० किता 2 रकबा 0.41 हे० वाके ग्राम भासू तहसील टोडारायसिंह प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम उसके पिता की विरासत दर्ज करते समय सहवन से रामलाल के स्थान पर रामा दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जमाबन्दी खाता सं. 1170 वाके ग्राम भासू, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र

Ruby

ड्राईवर लाइसेंस, पेन कार्ड, आदि में रामलाल ही दर्ज है उक्त जमाबंदी में सहवन से रामलाल के स्थान पर रामा को दुरुस्त करवाकर रामलाल दर्ज करवाने का प्रार्थी हकदार है अतः उक्त वाद ग्रस्त आराजियात वाके ग्राम भामू तहसील टोडारायसिंह में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र नन्दा के स्थान पर रामलाल पुत्र नन्दा दुरुस्त किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल करवाया जावे। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खाता सं: 805, 1170 वाके ग्राम भामू, आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेंस, पेनकार्ड, पेश किये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई। जिस पर अप्रार्थी की ओर से पेशकार सरकार नायब तहसीलदार उप० आये। प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट पटवारी में उल्लेख किया कि प्रार्थी का नाम खाता सं: 1170 वाके ग्राम भामू में, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड में रामलाल पुत्र नन्दा बैरवा दर्ज है जबकि खाता सं: 805 वाके ग्राम भामू में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र नन्दा बैरवा दर्ज है जो कि गलत है अन्य जमाबंदी खाते, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड के आधार पर प्रार्थी का नाम रामा के स्थान पर रामलाल किया जाना उचित है उक्त आराजी पैतृक है जो विरासत से आई हुई है पेशकार सरकार नायब तहसीलदार ने अपने जवाब में रिपोर्ट पटवारी भामू के अनुसार नाम संशोधन किया जाना उचित होना बताया है

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।

Rubry

बहस पर मनन किया। वाद ग्रस्त आराजियात वर्णित खतौनी सं: 805 सम्बत 2074-2077 वाके ग्राम भासू में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र नन्दा दर्ज है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अन्य खतौनी सं: 1119, 1170 सम्बत 2074-2077 वाके ग्राम भासू में, आधार कार्ड, ड्राईवर लाईसेंस, पेन कार्ड में रामलाल पुत्र नन्दा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम रामलाल पुत्र नन्दा है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार उक्त आराजियात उसके पिता की विरासत में आई है। मिसल में रामा के स्थान पर रामलाल किया जाना उचित बताया है। पैरोकार सरकार द्वारा भी अपनी अभिशंषा में इसी आशय की टिप्पणी की है जिससे प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होना पाया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम की परिधि में आना पाया जाता है।

लिहाजा रिपोर्ट पटवारी, अभिशंषा पैरोकार सरकार के अनुसार व अन्य दस्ता० के मध्य नजर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी सं: 805 जमाबंदी सम्बत 2074-2077 वाके ग्राम भासू में रामा पुत्र नन्दा के स्थान पर रामलाल पुत्र नन्दा दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible signature]
S.D.M Todaraisingh
29/1/21